

BCC:ISD:114:16:118 02nd June 2022

The Vice-President, BSELtd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE CODE: 532134

The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

NSE CODE: BANKBARODA

Dear Sir/ Madam,

Re: Bank of Baroda -26th Annual General Meeting (AGM)

We advise that, Bank is convening 26th Annual General Meeting of the shareholders of our Bank as per details given below:

| 1 | Date/ Time | Monday, 27 th June 2022 at 11.00 a.m. | | |
|---|-----------------|---|--|--|
| 2 | Mode | Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) | | |
| 3 | Agenda/ | ORDINARY BUSINESS: | | |
| | Business | 1. To approve the Financial Results of the Bank for the year ended 31st March, 2022. | | |
| | | 2. To approve and declare dividend for the FY2021-22. | | |
| 4 | Book Closure | 21st June 2022 to 27th June 2022 (both days inclusive) | | |
| 5 | Cut-off date | 20 th June 2022 | | |
| | | (To attend the AGM & vote through remote e-Voting/voting at the AGM and Payment of Dividend.) | | |
| 6 | Dividend | Rs. 2.85 per equity shares of FV of Rs.2 each | | |
| | Recommended | | | |
| 7 | Remote E-Voting | From 9.00 a.m. on 23.06.2022 up to 5.00 p.m. on 26.06.2022 | | |

We also annex a copy of 26th AGM Notice.

We request you to take notice under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

ours faithfully,

P K Agarwal Company Secretary





NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)





26वीं वार्षिक आम बैठक हेत् नोटिस

बैंक ऑफ बडौदा

प्रधान कार्यालय : अलकापुरी, बड़ौदा - 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

(वेबसाइट:www.bankofbaroda.in)

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 26वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से सोमवार, दिनांक 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2022 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अविध के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

रथान : मुंबई

दिनांक : 31 मई, 2022

नोट:

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के माध्यम से स्चीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है.
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है. 26 वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा.

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 22 जून, 2022 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

3. एजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने कैफिन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (KFIN), रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

- ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जिरए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है.
- बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है.
- सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए पात्र हैं.
- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं. एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं
- बड़े शेयरधारकों (2% या उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंधी समिति, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो आधार पर प्रवेश के कारण कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.





com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी कैफिन(KFin) की वेबसाइट https://evoting. kfintech.com पर भी उपलब्ध है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

- शेयरधारक को कैफिन(KFin) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए AGM-Video Conference & Streaming के आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/ फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए आगृह किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा तािक बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में ''स्पीकर रिजस्ट्रेशन'' के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं.
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.
- कृपया नोट करें कि समस्या/ विचार/ प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 20 जून, 2022 तक शेयर धारित हों. ''एजीएम प्रश्न संबंधी'' विंडो 23 जून, 2022 को प्रातः 10:00 से 24 जून, 2022 को सायं 05:00 बजे तक सक्रिय रहेगी.
- वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारकों को https://evoting.kfintech.com पर लॉग-इन करना होगा और ''स्पीकर रिजस्ट्रेशन'' पर क्लिक कर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, शहर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए. ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 23 जून, 2022 से 24 जून, 2022 की अविध के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही अपने विचार रखने /प्रश्न पूछने की अनुमित दी जाएगी.

ऐसे शेयरधारक जो विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए केफिटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

5. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा.

बेंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रिजस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट तारीख शेयरधारकों के रिजस्टर की बंदी

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 21 जून, 2022 से सोमवार, 27 जून, 2022 तक (दोनों दिन सिहत) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26वीं वार्षिक आम बैठक और लामांश के मुगतान के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार, वे शेयरधारक जिनके पास सोमवार, 20 जून, 2022 (विनिर्दिष्ट तारीख) को बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लामांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे.

7. लाभाश का भ्गतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मई, 2022 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 2.85 (दो रुपया पचासी पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है. निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 26वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भूगतान निम्नान्सार किया जाएगा:

ए) दिनांक 20 जून, 2022 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को:



- बी) दिनांक 20 जून, 2022 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;
- सी) ये लाभांश 26वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे.
- डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी.

8. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कैफिन को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.
- बी. रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल गुरुवार, 23 जून, 2022 को सुबह 9.00 बजे से रविवार, 26 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन सहित) पूरे समय खुला रहेगा.
- सी. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है.

निर्दिष्ट तारीख अर्थात् सोमवार, 20 जून, 2022 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

- डी. आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए) निम्नानुसार हैं:-
- i. जो शेयरधारक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **23 जून, 2022** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.kfintech.com
- लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
- iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
- iv. आप 'पासवर्ड बदलें', मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नए पासवर्ड में एक लोअर केस (A से Z), एक लोअर केस (A से Z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने तथा किसी भी संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई- मेल आदि को अद्यतन करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.

- आपको नए क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (20 जून, 2022) को शेयरधारक द्वारा यथा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके शेयरधारक (कों) के पास टॉप पर सभी विनियमन के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा. वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके प्रत्येक संकल्प के लिए वैयक्तिक रूप से अलग-अलग वोट कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अविध के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.
- vii. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार से इतर किसी भी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- viii. उपर्युक्त अनुसार पोर्टल बंद हो जाएगा और बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.
- ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सिचव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना अपेक्षित है.
- xi. ऐसे शेयरधारक, जो 26वीं एजीएम के लिए नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के प्रेषण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख एवं ई-वोटिंग हेतु विनिर्दिष्ट तारीख के बीच शेयर अर्जित करते हैं तथा जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रिजस्टर किया है, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.
- xii. इस संबंध में किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप https://evoting. kfintech.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ईमेल v-raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.





ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

 केवल डीमैट में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा को एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें.

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति धारित करने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल

- 1. IDeAS सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:
- I. यूआरएल: <u>https://eservices.nsdl.com</u>
- II. 'आइडीएएस' खंड के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें
- III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद "Access to e-Voting" पर क्लिक करें.
- IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा.
- 2. ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है
- I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com
- II. Register Online for IDeAS चुनें.
- III. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें.
- ऐसे उपयोगकर्ता जो IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं
- I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
- II. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें.9
- 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें
- I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/
- II. 'Shareholder/ Member' खंड के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "login" पर क्लिक करें.
- III. स्क्रीन पर यथा प्रदर्शित उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करें.

IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा.

सीडीएसएल

- 1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के विकल्प का चयन किया है
- l. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com
- II. नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें.
- III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- IV. बिना किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा.
- V. अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें.
- 2. ऐसे उपयोगकर्ता जो Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है:
- I. पंजीकृत करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/ पर उपलब्ध है.
- अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें.
- 3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट के माध्यम से:
- I. यूआरएल: www.cdslindia.com
- II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करें.
- III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है.
- IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रक्रियाधीन है.

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले) का अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा.

महत्वपूर्ण नोट:

ऐसे सदस्य, जो अपना यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/ पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.





किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य -एनएसडीएल

लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं.

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य -सीडीएसएल

लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं.

गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए लाग्

गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों हेतु लॉगिन करने की विधि निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- ए. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल में दिया गया है.
- बी. इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें और एड्रेस बार में URL:https://evoting. kfintech.com टाइप करें
- सी. आपके ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी. हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें.
- डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.
- ई. आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा. नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (A-Z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@,#,\$ आदि) के साथ न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.
- एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा.
- जी. सफलतापूर्वक लॉगिन पर, सिस्टम आपको EVENT यानी बैंक ऑफ़ बडौदा का चयन करने के लिए कहेगा.
- एच. वोटिंग पेज पर, विनिर्दिष्ट तारीख को आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी. यदि आप संकल्प हेतु सहमित/असहमित सभी के लिए वोट देना चाहते हैं तो सभी शेयर दर्ज करें और 'For/Against' जैसा भी मामला हो अथवा आंशिक रूप से 'For' और आंशिक रूप से 'Against' पर क्लिक करें, किन्तु 'For' और/या 'Against' को मिलाकर कुल संख्या विनिर्दिष्ट

तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प भी चुन सकते हैं और इन धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

- आई. कई फोलियो/ डीमैट खाते रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे.
- जे. किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट दें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा. पुष्टि करने के लिए 'Ok' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'Cancel' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी. मतदान अविध के दौरान, जब तक कि आपने यह पुष्टि नहीं की है कि आपने संकल्प पर मतदान किया है, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं.
- के. कॉर्पोरेट/ संस्थागत सदस्यों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि से इतर) से यह अपेक्षित है कि वे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सिहत संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ईमेल के माध्यम से scrutnizer@snaco.net पर प्रेषित करें और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं.

9. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

10. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ईवोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

11. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

12. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

() लाभांश के भुगतान के लिए बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके पते को संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होना चाहिए ताकि अद्यतन स्थिति तत्काल प्राप्त हो सके. बैंक या इसके रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को दी जा सकती है.

2021-2022





- बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवल अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रजिस्टर करना चाहिए,बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करना

रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा निवेशकों के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए सामान्य एवं सरलीकृत मानदंडों एवं पैन, केवाईसी तथा नामांकन विवरण, प्रस्तुत करने, वैध पैन के बिना फोलियों को फ्रीज करने, केवाईसी विवरण; भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक किए जाने और विवरण प्रस्तुत करने संबंधी मानदंडों हेतु सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआर एसडी/एमआईआरएसडीखारटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआर एसडीखारटीएएमबी/ पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किए हैं.

बैंक ने अपने भौतिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी भेजा है जिसमें उनसे अपने फोलियों को फ्रीज होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है. केवाईसी एवं नामांकन के लिए पत्र तथा निर्धारित प्रारूप की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank पर शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

जिन फोलियों में दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त सभी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें उक्त परिपत्रों के अनुसार केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. फ्रिज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रिज ही रहते हैं, को केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 एवं या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा.

सभी शेयरधारकों द्वारा फिजिकल मोड में पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करना

दिनांक 31 मार्च, 2022 या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख से केफिन केवल वैध पैन ही स्वीकार करेगा एवं यह भी सत्यापित करेगा कि मौजूदा फोलियो में पैन वैध है; अर्थात् वह शेयरधारक के आधार नंबर से लिंक है. जिन फोलियो में दिनांक 31 मार्च, 2022 की अधिसूचित विनिर्दिष्ट तारीख या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को पैन वैध नहीं है, उन्हें भी फ्रीज कर दिया जाएगा.

शेयरधारक कृपया नोट करें कि विषयगत परिपत्रों के अनुसार 1 जनवरी, 2022 से बैंक का आरटीए शेयरधारक(कों)/ दावेदारों के किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि पैन, केवाईसी एवं नामांकन दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं करा दिए जाते हैं.

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रक्ट, नानाक्रमगुड़ा, हैदराबाद - 500 032. टोल फ्री नंबर 1800-309-4001, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

या

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051. टेलीफोन (022) 66985010 / 5143, ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

14. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

- सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जिएए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसिमशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.
- 2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है. तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों.
- 3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी. शेयरधारक/ दावेदार उपरोक्त अनुरोध विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं. फॉर्म आईएसआर-4 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-forphysical-shareholders-of-bank और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें.

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के लाभ निम्नानुसार हैं:

. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या हानि की संभावना समाप्त हो जाती है:

bob World



- शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. डीमैटेरियालाइजेशन शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है. एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं.

15. भौतिक रूप में शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्टाइल में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है.

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे.

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है. यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेपित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे.

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुरूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए.

16. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन (नियमावली) के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है. इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.॥ दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं.

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षी

या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा. बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और केफिन https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध हैं.

बेंक ने ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत पत्र जारी किए हैं जिनके शेयर आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं. हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल/ उक्त पत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर करें. यदि बैंक को कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी और सूचना के आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

इसके अलावा, शेयरधारक को अपने दावे/ अदत्त लाभांश के अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर -1 और आईएसआर -2 भी प्रस्तुत करना होगा. फॉर्म ISR-1 और आईएसआर-2 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-Physical-shareholders-of-bank और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबंधित किसी भी दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

17. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया ध्यान दें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं.

18. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अिधनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अिधनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अिधनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अिधनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश भी ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित करें.

उक्त ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अविध में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेत् भविष्य





की नियत तारीख निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश अंतरिम / अंतिम | आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | | |
|-------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | पूर्ववर्ती विजया बैंक | पूर्ववर्ती देना बैंक |
| 1 | 2014-2015 | अंतिम | 29 जुलाई, 2022 | 27 जुलाई, 2022 | 01 अगस्त, 2022 |
| 2 | 2015-2016 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | 2016-2017 | अंतिम | 06 अगस्त, 2024 | 29 जुलाई, 2024 | लागू नहीं |
| 4 | 2017-2018 | अंतिम | लागू नहीं | 04 अगस्त, 2025 | लागू नहीं |
| 5 | 2018-2019 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6 | 2019-2020 | शून्य | लागू नहीं | | |
| 7 | 2020-21 | शून्य | लागू नहीं | | |

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2014-15 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

| केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं. 1800 345 4001 | निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com |
|---|--|
| | |

- 19. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:
 - एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें.
- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सिंहत मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपॉजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं.

- शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें तािक वािषक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोिटंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं.
- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामलें में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward. ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 31 मई, 2022





NOTICE OF 26th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Carporate Center, C-26, "G" Block Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051 (Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held **through Video Conferencing (VC)** / **Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, 27th June, 2022 at 11.00 a.m. to transact** the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2022, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2021-22.

FOR BANK OF BARODA



Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 31st May 2022

NOTES:

- 1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 31st December 2022. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).
 The deemed venue for the 26th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.
- 2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 22nd June 2022.

3. AGM Participation

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFin), Registrars and Transfer Agents (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

- Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
- Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
- c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
- The Shareholders can join the AGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on





the website of KFin , the e-voting agency at the website address https://evoting.kfintech.com

4. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com. by clicking the Icon of "AGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/ Firefox for better experience.
- Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants connecting from Mobile
 Devices or Tablets or through Laptop connecting via
 Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due
 to fluctuation in their respective network. It is therefore
 recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to
 mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 20th June 2022. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 23rd June 2022 till 5.00 PM on 24th June 2022.
- Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com and click on "Speaker Registration" by indicating the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. Those shareholders who have registered themselves as speakers during 23rd June 2022 to 24th June 2022, will only be allowed to express their views/ask questions.
- Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

5. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

6. Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, 21st June 2022 to Monday, 27th June 2022 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting and payment of dividend for the Financial Year 2021-22. Accordingly, the Shareholders holding Bank's Shares as on Monday, 20th June 2022 (Cut-off Date) will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM and would also be entitled to receive dividends, if any for FY2021-22.

7. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 31 May 2022 has recommended dividend @ Rs. 2.85 (Two Rupees & Eighty Five Paise only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2022. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 26th Annual General Meeting will be paid as under:

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 20th June 2022;
- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 20th June 2022:
- The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 26th





Annual General Meeting.

 Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.

8. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- The Bank has appointed KFin as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Thursday, 23rd June 2022 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Sunday, 26th June 2022 (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Monday, 20th June 2022,** may cast their vote electronically.

- d) The instructions for remote e-voting through RTA Portal (for Demat and Physical Shareholders) are as under:
- The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https:// evoting.kfintech.com on opening of the same on 23rd June 2022 at 9.00 a.m.
- Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in Notice.
- iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (20th June 2022) will appear. Shareholder(s) will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT

or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.

- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@ snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 26th AGM / Annual Report 2021-22 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DGM of KFin Technologies Ltd, (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

Login method for e-voting:

 Applicable only for Individual members holding securities in Demat

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat





mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL

- 1. User already registered for IDeAS facility:
- I. URL: https://eservices.nsdl.com
- II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.
- III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.
- 2. User not registered for IDeAS e-Services
- I. To register click on link: https://eservices.nsdl.com
- II. Select "Register Online for IDeAS"
- III. Proceed with completing the required fields.

User not registered for IDeAS e-Services

- I. To register click on link: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
- II. Proceed with completing the required fields.
- 3. By visiting the e-Voting website of NSDL
- I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/
- II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
- IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

CDSL

- 1. Existing user who have opted for Easi / Easiest
- II. Click on New System Myeasi
- III. Login with user id and password.
- IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.
- V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
- 2. User not registered for Easi/Easiest
- I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration
- II. Proceed with completing the required fields.
- 3. By visiting the e-Voting website of CDSL
- I. URL: www.cdslindia.com
- II. Provide demat Account Number and PAN No.
- III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants. You can also login using the login credentials of your demat

account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.:1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Members facing any technical issue - CDSL

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43.

 Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

- a. Initial password is provided in the body of the email.
- b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.
- c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the





votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cutoff date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

- Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/ demat account.
- j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@ snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

9. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

10. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and KFin.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders

holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

- Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. KFin Technologies Private Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. FURNISHING PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI has issued Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 for Common and Simplified Norms for processing investor's service request by Registrar & Transfer Agents (RTAs) and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination, freezing of folios without valid PAN, KYC details; compulsory linking of PAN and Aadhar by Shareholders holding shares in physical form, among others.

Bank has also sent an individual letter to physical shareholders of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC details and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Website of the Bank under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank.

Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen by KFin / Bank of Baroda in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFin / Bank of Baroda to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

Compulsory linking of PAN and Aadhaar by all shareholders in physical mode

From 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the Central Board of Direct Taxes ("CBDT"), KFin will accept only valid PANs and also verify that the PAN in the existing Folios are valid; i.e. it is linked to





the Aadhaar number of the Shareholder. The Folios wherein PAN is not valid as on the notified cut-off date of 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the CBDT, will also be frozen.

Shareholder please note that in terms of the subject mentioned Circulars, w.e.f. 1st January, 2022, RTA of the Bank will not process any service request or complaint from Shareholder(s) / claimant(s) unless PAN, KYC and Nomination documents/details are available.

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com]

OR

Bank of Baroda, Investor Services Department, Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051. [Tel. (022) 66985010 / 5143, E-mail: investorservices@bankofbaroda.com]

14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019
 has decided that except in case of transmission or
 transposition of securities, requests for effecting transfer
 of securities shall not be processed unless the securities
 are held in dematerialized form with a depository w.e.f.
 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to
 kindly Demat their physical holding immediately.
- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- 3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. Shareholders / claimants may submit above requests in duly filled Form ISR-4 along with documents mentioned therein. Form ISR-4 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

- Advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
- Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

15. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

3. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/ her DP for guidance.

16. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the





Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2013-14 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Bank has issued individual letters to shareholders whose shares are eligible for transfer to IEPF. We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately / not later than three months from the date of said letter. In case Bank does not receive any claim, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Further, shareholder are also required to furnish Form ISR-1 and ISR-2 along with documents mentioned therein for processing their claim / request for unpaid dividend. Form ISR-1 and ISR-2 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in

respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

17. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

18. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2014-15 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

| Sr. No | Financial Year | Dividend -Interim / | Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank | | |
|-----------|-------------------|------------------------|--|------------------|------------------|
| | | Final | Bank of Baroda | eVijaya Bank | eDena bank |
| 1 | 2014-2015 | Final | 29 th July, 2022 | 27th July 2022 | 01st August 2022 |
| 2 | 2015-2016 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 3 | 2016-2017 | Final | 06th August, 2024 | 29th July 2024 | Not Applicable |
| 4 | 2017-2018 | Final | Not Applicable | 04th August 2025 | Not Applicable |
| 5 | 2018-2019 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 6 | 2019-2020 | NIL | Not Applicable | | |
| 7 | 2020-2021 | NIL | Not Applicable | | |





The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2014-15 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address:

Investors' Services

Bank of Baroda, 7th Floor,

Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra

Department

Kurla Complex,

Mumbai - 400 051.

investorservices@

bankofbaroda.com

Bandra (E)

E-mail -

KFin Technologies Ltd.
(Unit :- Bank of Baroda)
Selenium Tower
B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial
District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal,
Hyderabad – 500 032
Email id - einward.ris@
kfintech.com
Website: https://www.

kfintech.com
Toll free number - 1- 800-

309-4001

19. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

 Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.

- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward. ris@kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, selfattested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

By Order of the Board of Directors For BANK OF BARODA



Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date 31st May 2022